पत्रांक : 09/मु0–22/2023 I/70728/2023

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, (भा0प्र0से0)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक 26.07.2023

विषय : औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्ति उर्दू विषय को शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू विषय को शामिल किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–940/2021 (मुशर्रत जहाँ एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य) दायर किया गया है।

अंकनीय है कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–342 दिनांक 09.07.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्रम संसाधन विभाग के निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के नियंत्रणाधीन संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से दो या दो वर्ष से अधिक के अवधि के व्यवसायों के प्रशिक्षणार्थियों को 10वीं एवं 12वीं के समकक्ष मान्यता एवं संकाय निर्धारण कतिपय शर्त्तों के साथ किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को 12वीं की समकक्षता हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य है।

सम्यक विचारोपरान्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों हेतु ली जाने उक्त परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय के अलावा उर्दू विषय को शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदालोक में निदेश दिया जाता है कि औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू विषय में से किन्हीं दो विषयों की भाषा परीक्षा परीक्षार्थी के द्वारा दिये गये विकल्प अनुसार लेना सुनिश्चित किया जाए।

2. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/मु0–22/2023 I/70728/2023 पटना, दिनांक 26.07.2023

प्रतिलिपि : निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।